संख्या– 39 /V–2/60(आ0)15/2017

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
(जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को छोड़कर),
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 03 जनवरी, 2017**

विषय– विनियमित क्षेत्रों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियां एवं दायित्वों का हस्तारण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के बाह्य क्षेत्र को नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–3 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विनियमित क्षेत्र यथा चमोली–गोपेश्वर, बद्रीनाथ, गौचर, पौड़ी, श्रीनगर, रामनगर, रूद्रपुर, किच्छा, काशीपुर, बाजपुर, हल्द्वानी–काठगोदाम, रूड़की, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, कौसानी–ल्वेशाल, औली, चम्पावत, को विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर सम्यकं विचारोपरान्त लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त विनियमित क्षेत्रों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियां एवं दायित्वों का हस्तारण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–39 /V –2/60(आ0)15/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं , पौड़ी/नैनीताल।
3– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
5– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनी[illegible]।
6– नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव